

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 1972/माघ 18, 1893

No. 83] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 1972/MAGHA 18, 1893

इस भाग में भिन्न दृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह भाग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February 1972

S.O. 122(E).—Whereas I, F.G.T. Menezes, have been authorised by the Vegetable Oil Products Controller for India under sub-clause (a) of clause 2 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, to exercise the powers of the Controller under the said Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 9 of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947 read with the notification of the Government of India in the late Ministry of Food & Agriculture No. G.S.R. 882 dated the 24th September, 1958, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Food, No. S.O. 5186 dated the

22nd November, 1971, I hereby fix, with the prior concurrence of the Central Government, the maximum prices at which vegetable oil products may be sold in the various zones specified below with effect from the 8th February, 1972 as follows :—

	ZONE 'A'			ZONE 'B'		
	Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Chandigarh and Delhi.			Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, Tamil Nadu, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands and Pondicherry.		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) In tin containers						
Net capacity in kilograms)						
16.5	77.10	82.12	83.44	75.30	80.23	81.55
15.0 (*)	70.43	75.00	76.20	68.79	73.28	74.48
4.0	20.54	21.85	22.17	20.10	21.39	21.71
2.0	10.73	11.41	11.57	10.51	11.18	11.34
(b) In high-density polythene containers						
(Net capacity in kilograms)						
1.0	5.78	6.14	6.22	5.67	6.02	6.10
(c) In returnable galvanised steel drums						
Per kilogram net	4.68	4.98	..	4.56	4.84	..
(d) Loose, in small quantities						
Per kilogram net	..	..	5.06	..	..	4.94

	ZONE 'C'			ZONE 'D'		
	Assam, Bihar, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram			Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Dadra & Nagar Haveli, and Goa, Daman & Diu		
	By producer	By wholesaler	By retailer	By producer	By wholesaler	By retailer
	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
(a) In tin containers						
(Net capacity in kilograms)						
16.5	77.63	82.67	83.99	75.19	80.11	81.43
15.0 (*)	70.91	75.51	76.71	68.70	73.18	74.38
4.0	20.68	21.99	22.31	20.08	21.36	21.68
2.0	10.79	11.47	11.63	10.50	11.16	11.32
(b) In high-density polythene containers.						
(Net capacity in kilograms)						
1.0	5.82	6.18	6.26	5.67	6.02	6.10
(c) In returnable galvanised steel drums						
Per kilogram net	4.70	5.01	..	4.56	4.84	..
(d) Loose in small quantities						
Per kilogram net	..	..	5.09	..	..	4.94

NOTE :

- (1) (*) Aerated quality—manufactured under special permission.
- (2) The price limits for sale by producer specified above are inclusive of freight but exclusive of excise duty, sales tax, octroi, terminal tax and other local taxes.
- (3) The price limits for sale by wholesaler and by retailer specified above are inclusive of freight and excise duty, but exclusive of sales tax, octroi, terminal tax and similar other local taxes.

Explanation : In this notification :

- (i) "retailer" means a dealer who sells not more than 16.5 kgs. of vegetable oil product to any one consumer at a time.
 (ii) "wholesaler" means a dealer who sells vegetable oil product,
 (a) to a retailer in any quantity, or
 (b) to a consumer exceeding 16.5 kgs. at a time.

[No. 12-2/72 C&P/1]
 F. G. T. MENEZES,
 Director (Vanaspati).

कृषि मंत्रालय

(खद्यपिः)

अधिसूचना

नं० दि०, १ फरवरी, 1972

का० भा० 122(अ).—यतः मै, एफ० जी० टी० मैनेजिज, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, के खण्ड 2 के उपखण्ड (क) के अधिन उक्त उक्त आदेश के अधीन की नियंत्रक शक्तियों का प्रयोग करने के लिये भारत के वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

अतः, अब भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 882 तारीख 24 सितम्बर 1958 के पठित वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० का० भा० 5186 तारीख 22.11.71 को अधिकृत करते हुए मै, एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्ण सहमति से, अधिकतम कीमतें जिन पर वनस्पति तेल उत्पादों को नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न जोनों में 8.2.1972 से विक्रय किया जा सकेगा, निम्नलिखित रूप से नियत करता हूँ :—

जोन "क"				जोन "ख"		
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तामिलनाडु, लंकादीप, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चण्डीगढ़, और दिल्ली				मिनाकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह और पांडिचेरी		
उत्पादक द्वारा	बोक्क-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	उत्पादक द्वारा	बोक्क-विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा	
(र०)	(र०)	(र०)	(र०)	(र०)	(र०)	(र०)
(क) दिन के आधेनों में (किलोग्रामों में शुद्ध धारिता)						
16.5	77.10	82.12	83.44	75.30	80.23	81.55
15.0	70.43	75.00	76.20	68.79	73.28	74.48
4.0	20.54	21.85	22.17	20.10	21.39	21.71
2.0	10.73	11.41	11.57	10.51	11.18	11.34
(ख) उच्च घनत्व के पालिथीन के आधेनों में (किलोग्राम में शुद्ध धारिता)						
1.0	5.78	6.14	6.22	5.67	6.02	6.10
(ग) लौटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के ड्रमों में प्रति किलोग्राम शुद्ध						
4.68	4.98	—	4.56	4.86	—	—
(घ) खुला बोझी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्ध						
..	..	5.06	..	..	..	4.94

जोन 'ग'

जोन 'घ'

असम, बिहार, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, त्रिपुरा,
पश्चिमी बंगाल, अन्धमान और निकोबार द्वीप
समूह, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोराम ।

गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड और
नगर हवेली तथा गोवा दमन और दीप

उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर द्वारा	उत्पादक द्वारा	थोक विक्रेता द्वारा	फुटकर विक्रेता द्वारा
रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
(क) टिन के आधानों में किलोग्राम में शुद्ध धारिता					
16.5	77.63	82.67	83.99	75.19	80.11
15.0	70.91	75.51	76.71	68.70	73.18
4.0	20.68	21.99	22.31	20.08	21.39
2.0	10.79	11.47	11.68	10.50	11.16
(ख) उच्च धनत्व के पालिथीन के आधानों में (किलोग्राम में शुद्ध) धारिता					
1.0	5.82	6.18	6.26	5.67	6.02
(ग) खोटाए जाने योग्य जस्तेदार इस्पात के द्रुमों में प्रति किलोग्राम शुद्धता					
	4.70	5.01	..	4.56	4.86
(घ) खुला थोड़ी मात्रा में प्रति किलोग्राम शुद्धता					
	..	..	5.09	..	4.94

टिप्पण :-

* (1) वातित क्वालिटी - त्रिगो अनुमा के अधीन विनिर्मित ।

(2) उत्पादक द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट को सब सीमाओं में बूलाई सम्मिलित हैं किन्तु उनमें उत्पाद शुल्क, विक्रय - कर, चुंगी, सीमाकर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित नहीं हैं ।

(3) थोक विक्रेता द्वारा और फुटकर विक्रेता द्वारा विक्रय के लिए उपरोक्त विनिर्दिष्ट कोमा तालाओं के साथ उपरोक्त उत्पाद शुल्क सम्मिलित हैं किन्तु विक्रयकर, चुंगी, सीमा कर और ऐसे ही अन्य स्थानीय कर सम्मिलित कर नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण :

(1) 'फुटकर विक्रेता' से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो किसी एक उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तैल उत्पाद विक्रय करता है ।

(II) 'थोक विक्रेता' से ऐसा व्यवहारी अभिप्रेत है जो,

(क) किसी फुटकर विक्रेता को किसी मात्रा में, या

(ख) किसी उपभोक्ता को एक समय में 16.5 किलोग्राम से अधिक वनस्पति तैल उत्पाद विक्रय करता है ।

[सं० 12-2/72-सी० एन्ड पी/भाई]

एफ० जी० टी० मैनेजिज निदेशक (वनस्पति) ।